"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2012—फाल्गुन 19, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7.) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 द्वारा जारी नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम के नियम-1 (1) में शब्द (शुल्क एवं प्रभार) के बाद शब्द और अंक "नियम, 2007" के स्थान पर शब्द और अंक "संशोधन नियम, 2006" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6, दिनांक 10 जुलाई 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

Raipur, the 10th July 2008

No. F 2-10/2006/1-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the state Government hereby makes the following Amendment in the rules, issued by even number notification dated 12th October, 2006, namely :—

AMENDMENT

In rule 1 (1) of the said rules after the word (fees and charge) in spite of the word & figure "rules, 2007" the word & figure "amendment rules, 2006" shall be substituted, namely.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. K. BAJPAI, Deputy Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2012

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 1494/डी. 41/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2012.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई 2011 के पृष्ठ क्रमांक 346(10) में प्रकाशित किये गये, छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) के अंग्रेजी पाठ में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में, शब्द "साठ" को "पैंसठ" पढ़ा जाए.

CORRIGENDUM

No. 1494/डी. 41/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2012.—In the English version of the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011 (No. 15 of 2011), as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) dated, 11th May, 2011 at page 346 (10), in sub-section (3) of Section 4 of the Act, the word "sixty" be read as "sixty five".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक/एफ 7-48/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 07-01-2011 द्वारा रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 (क) के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सोनडोंगरी प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. रायपुर	237/11 237/22	0.202 4.047 में से 4.007 हे.	मार्ग, अमोद-प्रमोद एवं औद्योगिक	आवासीय
		237/1 237/20 237/23	13.521 में से 10.311 हे.	मार्ग, अमोद-प्रमोद एवं औद्योगिक	आवासीय
		237/21 402	0.729 0.324 हे. में 0.204 हे.	मार्ग, अमोद-प्रमोद एवं औद्योगिक	आवासीय

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण बेसिक सर्विसेस फार अरबन पूअर योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायपुर को भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकन (2021) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 21/189/2012/13/2/ऊ.वि.—यतः, राज्य सरकार की राय है कि राज्य के स्पंज आयरन इकाईयों, मिनी स्टील प्लांट, रोलिंग मिल्स तथा इन्टीग्रेटेड स्टील उद्योगों को विस्तारित रियायत देने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा लोकहित में है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 3 (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

राज्य सरकार, पूर्व अधिसूचना क्रमांक 100/13/ऊ.वि./अधिसूचना/वि. शुल्क छूट/06 दिनांक 09 जनवरी 2006 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य के स्पंज आयरन इकाईयों, मिनी स्टील प्लांट, रोलिंग मिल्स तथा इन्टीग्रेटेड स्टील उद्योगों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

1. (क) विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट ऐसी औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिलेगी जो अपनी विद्युत आवश्यकता की पूर्ति स्वयं के अथवा सहयोगी संस्थानों के केप्टिव पावर प्लांट से करती है एवं स्वीकृत भार के एवज में बहुत कम विद्युत प्राप्त कर इकाईयों का संचालन कर रही है.

(ख) ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल) द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है वे 01-01-2006 से 31-03-2006 की कालावधि के दौरान अतिरिक्त छूट हेतु पात्र नहीं होगी.

(ग) उपरोक्त सरल क्र. (क) में निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र संस्थानों को विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट के एवज में देय राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा किया जाएगा एवं राज्य सरकार, ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को करेगी.

(घ) विद्युत शुल्क के भुगतान के लिए उपरोक्त छूट 01-01-2006 से 31-03-2006 तक की कालावधि के लिए लागू रहेगी.

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2006 से प्रभावशील मानी जाएगी.

No. F 21/189/2012/13/2/ED.—Whereas the State Government is of the opinion that extending concession to the Sponge Iron Units, Mini Steel Plants, Rolling Mills and Integrated Steel Plant Industries of the State is necessary and in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949), State Government, hereby, in supersession of the previous Notification No. 100/13/ED/Notification/Electricity Duty/06, dated 09-01-2006, exempts Sponge Iron Units, Mini Steel Plants, Rolling Mills and Integrated Steel Plant Industries of the State from payment of Electricity Duty, subject to following conditions, namely :—

1. (a) Exemption from payment of Electricity Duty shall not be extended to such industrial units which are meeting its power requirement from captive power plant of its own or sister concerns and operating its unit after availing very less power against the sanctioned load.

(b) Such industrial units which have been allowed the exemption from payment of electricity duty by Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (Formerly Chhattigarh State Electricity Board) during the period 01-01-2006 to 31-03-2006, shall not be eligible for additional exemption.

(c) The amount in lieu of exemption from payment of electricity duty shall be paid to the eligible institutions as per conditions stipulated in serial number (a) above by the Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and the State Government shall reimburse such amount to Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited.

(d) Above exemption from payment of Electricity Duty shall be applicable for the period from 01-01-2006 to 31-03-2006.

This notification shall be deemed to have come into effect from 1st January, 2006.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2008

प्रति,

शासन के समस्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश ।**

संदर्भः– भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशान मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 4/9/2008–आईआर, दिनांक 24.06.2008.

––00––

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुक्रम में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 4/9/2008–आईआर, दिनांक 24.06.2008 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2/ कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/आयोग/निगम/मंडलों/संगठनों/संस्थाओ आदि को उक्त पत्र की छायाप्रति भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(व्ही.के.राय)
जन सूचना अधिकारी
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

10/7/08

पृ. क्र. एफ 2–4/2008/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक जुलाई, 2008

प्रतिलिपिः– निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 4/9/2008–आईआर, दिनांक 24.06.2008 के संबंध में सूचनार्थ ।

जन सूचना अधिकारी
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 4/9/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
******

North Block, New Delhi
Dated the 24th June, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Courteous behavior with the persons seeking information under the RTI Act, 2005.

*****

The Central Information Commission has brought to the notice of this Department that officers of some of the public authorities do not behave properly with the persons who seek information under the RTI Act. The undersigned is directed to say that the responsibility of a public authority and its public information officers (PIO) is not confined to furnish[illegible] information but also to provide necessary help to the information seeker, wherever necessary. While providing information or rendering help to a person, it is important to be courteous to the information seeker and to respect his dignity.

2. Many organizations/training institutions are conducting training programmes on the Right to Information Act. The public authorities should ensure that their PIOs and other concerned officers are exposed to such training programmes. The public authorities may also organize training programmes at their own level. While imparting such training, the officers should be sensitized about the need of courteous behaviour with the information seekers.

3. The Commission has also expressed concern over the fact that many public authorities have not published relevant information under section 4 of the Act. All the public authorities should ensure that they make suo motu disclosure as provided in the Act without any further delay. It is a statutory requirement, which should not be compromised with.

4. All Ministries/Departments etc. are requested to bring the contents of this OM to the notice of all concerned and ensure compliance thereof.

(K.G. Verma)
Director

To

1. All the Ministries / Departments of the Government of India.
2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/ Election Commission.
3. Central Information Commission/ State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5 O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: JS(Training), DOPT

With the request to issue necessary instructions to all the training institutes conducting training programmes on the Right to Information to the effect that the programme should have a component on sensitizing the officers about the need of courteous behaviour with the information seekers.

Copy also to:

Chief Secretaries of all the States/UTs.

संख्या : 4/9/2008-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.

दिनांक : 24 जून, 2008.

कार्यालय आदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना माँगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार ।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस विभाग को सूचित किया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों के अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं । अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी लोक प्राधिकरण और उसके लोक सूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व मांगी गई सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है । उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें । किसी व्यक्ति को सूचना या सहायता प्रदान करते समय उसके साथ भद्र व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए ।

2. अनेक संगठन/प्रशिक्षण संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं । लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लोक सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लें । लोक प्राधिकरण भी अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं । इस प्रकार के प्रशिक्षणों में अधिकारियों को सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्र व्यवहार करने के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए ।

3. आयोग ने इस तथ्य पर भी चिंता जताई है कि कई लोक प्राधिकरणों ने अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत संगत जानकारी प्रकाशित नहीं की है । सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार सूचना का स्वत: प्रकटन अब बिना किसी विलंब के हो जाए । यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए ।

.....2/.....

4. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की अन्तर्वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(के. जी. वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि सूचना का अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी प्रशिक्षण संस्थानों को इस आशय के अनुदेश जारी किए जाएं कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार करने संबंधी सामग्री भी प्रशिक्षण के एक संघटक के रूप में सम्मिलित की जाए ।

प्रतिलिपि : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2-4/2008/1-सूअप्र (पार्ट-1)   रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/12/2007-आई.आर. दिनांक 31 जुलाई 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 2-4/2008/1--सूअप्र (पार्ट-1)   रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रतिलिपि :-

(1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/12/2007-आई.आर. दिनांक 31 जुलाई 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) सचिव, छ0ग0 सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C:\E:\Kushwaha\Kushwaha Letters\72

संख्या-1/12/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों की सूची तैयार करना।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(i) भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में मान्यता दी गई है। इस नोडल विभाग के पास उन सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की पूरी सूची होनी चाहिए जो लोक प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के पास भी उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी लोक प्राधिकरणों की सुविस्तृत सूची होनी चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकरणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है : (i) संवैधानिक निकाय (ii) लाइन एजेन्सियां (iii) सांविधिक निकाय (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (v) कार्यकारी आदेश के अंतर्गत सृजित निकाय (vi) सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा भरपूर वित्तपोषित निकाय, और (vii) सरकार द्वारा भरपूर वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन । प्रत्येक श्रेणी के अंदर सभी लोक प्राधिकरणों की अद्यतन सूची रखी जानी है।

(iii) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के पास उसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकरणों का ब्यौरा होना चाहिए। यह अंतिम स्तर तक जारी रहनी चाहिए। ये सभी ब्यौरे संबंधित लोक प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर पदसोपान रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(iv) राज्यों द्वारा भी एक ऐसी ही प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

2. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची आर.टी.आई. पोर्टल (www.rti.gov.in) पर पहले ही डाली जा

2. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची आर.टी.आई. पोर्टल (www.rti.gov.in) पर पहले ही डाली जा चुकी है। सभी मंत्रालयों/विभागों से उनके अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों की एक सुविस्तृत सूची तैयार करने का अनुरोध किया जाता है। इन प्राधिकरणों को संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों इत्यादि में उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाए। मंत्रालय/विभाग ऐसे गैर सरकारी संगठनों की भी सूची तैयार करें जिन्हें उनसे अनुदान प्राप्त होता है और जो 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा के भीतर आते हैं। इस प्रकार तैयार की गई लोक प्राधिकरणों की सूचियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा आर.टी.आई. पोर्टल पर अपलोड की जाएं और अद्यतन रखी जाएं।

3. यह भी अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त पैरा 1 के खंड (iii) में निहित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करने हेतु उनके अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों को अनुदेश जारी करें।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

प्रति : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव – यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोल्लिखित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/33/2007–आई.आर. दिनांक 14 नवम्बर 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08
प्रतिलिपि :–

(1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/33/2007–आई.आर. दिनांक 14 नवम्बर 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(2) सचिव, छ0ग0 सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C:\Kushwaha\Kushwaha Letters\69

संख्या-1/33/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 14 नवम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: रिकार्डों को अद्यतन बनाना – द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि रिकार्डों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह अधिदेशित करता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी रिकार्डों को समुचित रूप से तालिका बद्ध और सारणी बद्ध रूप में रखे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून, 2006) 'सूचना का अधिकार-सुशासन की मास्टर कुंजी' में यह टिप्पणी की है कि हमारी सूचना प्रणाली में रिकार्ड कीपिंग को नजरन्दाज करना सबसे कमजोर लिंक है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि एकबारगी उपाय के रूप में भारत सरकार, रिकार्डों को अद्यतन बनाने, आधारभूत संरचना में सुधार लाने, मैनुअल बनाने और लोक रिकार्ड कार्यालय स्थापित करने के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए सभी आधारभूत कार्यक्रमों की निधियों का 1% हिस्सा चिह्नित करे।

2. रिकार्डों का रख-रखाव और अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित है। आधारभूत संरचना में सुधार करना और आवश्यक मैनुअल तैयार करना भी सतत प्रक्रियाएं है जो संबंधित लोक प्राधिकारियों की जिम्मेवारी है। सभी लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने संसाधनों से अपने रिकार्डों का अद्यतन करे, उनकी आधारभूत संरचना में सुधार लाए और आवश्यक मैनुअल तैयार करे। वे अपनी आवश्यकतानुसार इस आशय के लिए विशिष्ट बजटीय प्रावधान कर सकते हैं।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबन्धितों के ध्यान में लाया जाए।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग//लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

प्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 10/23/2007–आई.आर. दिनांक 09 जुलाई 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

27/9/08

पृ0 क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रतिलिपि :–

(1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 10/23/2007–आई.आर. दिनांक 09 जुलाई 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) सचिव, छ0ग0 सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

27/9/08

C:\I E\Kushwaha\Kushwaha Letters\71

संख्या - 10/23/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पहली अपील का निपटान ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा इस विभाग की जानकारी में लाया गया है कि :-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपीलों का निपटान अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं करते हैं ;

(ii) अपीलीय प्राधिकारी न्यायिक ढंग से अपीलों की जांच नहीं करते और वे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के साथ यथावत अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं ;

(iii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलकर्ता को सूचना देने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (6) में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देना चाहिए । आपवादिक मामलों में अपीलीय प्राधिकारी अपील के निपटान में इस शर्त पर 45 दिन का समय ले सकता है कि वह अपील के संबंध में निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण को लिखित रूप में दर्ज करेगा । इसलिए हर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर हो जाए । यदि कुछ आपवादिक मामलों का निपटान 30 दिनों के अंदर कर पाना संभव न हो तो इसके निपटान में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकारी को अपील का निर्णय 30 दिनों में न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना चाहिए ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलों का निपटान एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है । इसलिए यह आवश्यक है कि अपीलीय प्राधिकारी यह ध्यान दे कि केवल न्याय किया ही न जाए बल्कि यह भी लगना चाहिए कि न्याय किया गया है । ऐसा करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश स्वतः स्पष्ट होना चाहिए जिसमें लिए गए निर्णय के औचित्य को भी बताया गया हो ।

4 यदि कोई अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अतिरिक्त और सूचना दी जानी चाहिए तो वह या तो (i) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह अपीलकर्ता को वह सूचना दे ; या (ii) वह स्वयं अपील का निपटान करते समय अपीलकर्ता को सूचना दे सकता है । पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेशित सूचना अपीलकर्ता को तत्काल दे दी जाए । तथापि यह बेहतर होगा कि अपीलय प्राधिकारी दूसरे विकल्प का चयन करे तथा वह उक्त मामले पर दिए गए आदेश के साथ ही अपेक्षित सूचना भी दे दे ।

5. केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने काफी कनिष्ठ अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है जो अपना आदेश लागू करा पाने की स्थिति में नहीं हैं । अधिनियम में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का होगा । इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी होगा । तथापि, यदि किसी मामले में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का कार्यान्वयन नहीं करता है तथा अपीलीय प्राधिकारी महसूस करता है कि आदेश के कार्यान्वयन के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप जरूरी है तो उसे मामले को ऐसे लोक अधिकारी की जानकारी में लाना चाहिए जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हो । ऐसे सक्षम अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवश्यक कार्रवाई करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

6. इस कार्यालय ज्ञापन के विषय को सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, नई दिल्ली
4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग

सभी राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ ।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4 / 2008 / 1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1 / 69 / 2007–आई.आर. दिनांक 27 फरवरी 2008 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
27/9/08 छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 2–4 / 2008 / 1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक सितम्बर, 08

प्रतिलिपि :–

(1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1 / 69 / 2007–आई.आर. दिनांक 27 फरवरी 2008 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) सचिव, छ0ग0 सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग